तटस्थ उद्धरण संख्याः 2023/डीएचसी/000555

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 24 जनवरी, 2023

के मामले में:

ले.पे.अ. 450/2022 व सि.वि.आवे.33081/2022, 40110/2022 व 44632/2022

एलकॉन पब्लिक स्कूल .... अपीलार्थी

द्वारा : श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री पियूष गुप्ता, श्री रक्षित पाण्डेय, श्री लक्ष्य परमार अधिवक्तागण

बनाम

ओमिता मागो एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री अशोक अग्रवाल, श्री मनोज कुमार, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 41 के लिए अधिवक्तागण

कोरम :
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.

तटस्थ उद्धरण संख्याः 2023/डीएचसी/000555

1. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या. (सि.) 4979/2021 में पारित दिनांक 24.03.2022 के आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता स्कूल ने वर्तमान ले.पे.अ. दायर किया है।

2. विस्तृत विवरण के संक्षिप्तीकरण के उपरांत, वर्तमान ले.पे.अ. से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) यह कहा गया है कि इसमें प्रत्यर्थीगण जो अपीलकर्ता स्कूल में लाइब्रेरियन, शिक्षक जिसमें विभिन्न विषयों के लिए पूर्व-प्राथमिक, प्र.स्ना.शि. और परा.स्ना.शि. भी सम्मिलित हैं, के रूप में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियों के साथ रिट याचिका दायर किया हैं:

"i) *कोई ऐसा उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाये जिसमें प्रत्यर्थी एलकॉन पब्लिक स्कूल को निदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण को जून 2020 से लेकर अब तक उनके वेतन से गलत तरीके से काटी गई राशि का तत्काल भुगतान करें;*

(ii) कोई ऐसा उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसके द्वारा प्रत्यर्थी एलकॉन पब्लिक स्कूल को यह निदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं का वेतन दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित करें और याचियों के वेतन, भत्ते, बकाया वेतन सहित अन्य हितलाभ एवं सभी आनुषांगिक हितलाभ का भुगतान करें;

(iii) कोई ऐसा उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2/ शिक्षा निदेशक को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973

की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी/स्कूल के विरूद्ध प्रत्यर्थी/स्कूल की तरफ से उपर्युक्त विफलताओं के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया हो;

(iv) याचिकाकर्तागण के पक्ष में कोई अन्य आदेश या निर्देश या ऐसे अन्य आदेश पारित करें जिन्हें मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में न्यायसंगत और उचित समझा जाए; और

(v) याचिकाकर्तागण के पक्ष में वर्तमान रिट याचिका को लागत के साथ स्वीकार करें।"

ii. रिट याचिका उन विभिन्न तिथियों को इंगित करती है जिन पर प्रत्यर्थी अपीलकर्ता स्कूल की सेवाओं में सम्मिलित हुए थे|

iii.अपीलकर्ता स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित है, जिसमें यह अधिदेश है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तें, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभों का स्तर केंद्र सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रायोजित/संचालित स्कूलों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं होनी चाहिए|

.

iv.यह कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कर्मचारियों को 6 ठें वेतन आयोग और 7 वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। प्रत्यर्थी का मामला यह हैं कि अपीलकर्ता स्कूल में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है| यह कहा गया है कि जून, 2020 से कर्मचारियों को उनके वेतन का केवल 60 प्रतिशत ही मिल रहा है, जिसका भुगतान 6ठें वेतन आयोग के अनुसार किया गया है।

v. यह कहा गया है कि विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद, अपीलार्थी स्कूल 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर रहा है जिसके लिए शिक्षक दिनांक 01.01.2016 से हकदार हैं और वेतन के बकाये का भी भुगतान नहीं कर रहा है।

vi. अपीलकर्ता स्कूल ने एक प्रति शपथ-पत्र दायर करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि स्कूल के लिए आय का एकमात्र स्रोत छात्रों द्वारा भुगतान की गई फीस है। यह कहा गया है कि जिस भूमि में अपीलकर्ता स्कूल चलाया जा रहा है, उसे डीडीए द्वारा इस शर्त पर आवंटित किया गया था कि स्कूल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25% बच्चों को प्रवेश देगा और ऐसे बच्चों को ट्यूशन फीस में शुल्क-मुक्ति प्रदान करेगा। यह भी कहा गया है कि छात्रों द्वारा देय शुल्क सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है और स्कूल केवल उक्त समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क ले सकता है।यह कहा गया है कि फीस 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है।

vii.यह कहा गया है कि चूंकि शिक्षा निदेशालय, जो समिति का गठन करता है, ने अपीलकर्ता को शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए अपीलकर्ता स्कूल 7 वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन के भुगतान करने की स्थिति में नहीं है| प्रति शपथ-पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी के कारण इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं और स्कूल के राजस्व में कमी आई

है।यह कहा गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देनें और स्कूल चलाने हेतु अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए राजस्व पर्याप्त नहीं था।इसलिए, स्कूल के पास कर्मचारियों को देय राशि को कम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।यह कहा गया है कि स्कूल को अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण स्कूल अपने खर्च को पूरा करने में असमर्थ है।

viii. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया है और अपीलकर्ता स्कूल को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और बकाया वेतन के भुगतान करने का निर्देश दिया है.

ix.उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान ले.पे.अ. दाखिल किया गया है।

3. इस न्यायालय ने अपीलकर्ता स्कूल को एक समय सीमा प्रदान करने के लिए समय दिया जिसके अंतर्गत वह वेतन के बकाये राशि का निस्तारण करने और 7 वेतन आयोग को लागू करने में सक्षम होगा| कई अवसरों के बावजूद, अपीलकर्ता स्कूल इस न्यायालय को कोई ठोस योजना प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा है ताकि 6ठें वेतन आयोग और 7 वें वेतन आयोग के तहत देय वेतन के अनुसार बकाया वेतन का भुगतान और वेतन के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सके| इसलिए, यह न्यायालय गुणागुण के आधार पर अपील की सुनवाई कर रहा है|

4. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया।

5. श्री जयंत मेहता, अपीलकर्ता स्कूल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता स्कूल के लिए फीस ही राजस्व का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर स्कूल चलाया जा रहा है वह वर्ष 1988 में डीडीए द्वारा आवंटित की गई थी और भूमि आवंटित करते समय एक शर्त यह थी कि स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देगा और ऐसे बच्चों से कोई फीस नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17 (3) के तहत स्कूल को आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान उगाहे जाने वाले फीस का पूरा विवरण शिक्षा निदेशालय के पास दाखिल करना होगा और निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल विभाग द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस नहीं ले सकता है।

6. श्री मेहता ने इस न्यायालय का ध्यान स्कूल द्वारा अपने दैनिक कामकाज हेतु वहन किए जाने वाले खर्चे तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिए जाने वाले पेंशन, उपदान आदि की राशि की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया हैं। उनका तर्क है कि स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस हेतु विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा और जब तक शिक्षा विभाग फीस बढ़ाने के लिए सहमत नहीं होता है, स्कूल अपनी फीस में वृद्धि नहीं कर सकता है।उनका कहना है कि स्कूल बकाये वेतन के भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

7. श्री मेहता बताते हैं कि, आज के दिन तक, वर्ष 2022-23 के लिए अपीलकर्ता स्कूल का कुल राजस्व 23,01,35,984/- रुपये है और 6 ठें वेतन आयोग का बकाया और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन

और अन्य व्यय 23,72,76,000/- रुपये बनते है। उनका कहना हैं कि 71,40,016/- रूपये का घाटा हैं| उनका कहना है कि यदि वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाती है तो अपीलकर्ता स्कूल को बकाया वेतन के भुगतान में न्यूनतम पांच वर्ष लगेंगे|

8. दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 यह अधिदेशित करता है कि किसी भी मान्यताप्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम आदि द्वारा संचालित स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों से कम नहीं होना चाहिए| दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 निम्नवत हैं:

"10. कर्मचारियों का वेतन -

(1) किसी मान्यताप्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारियों का वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित लाभ समुचित प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में उनके समकक्ष कर्मचारियों से कम नहीं होंगेः

बशर्ते जहां किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित लाभ समुचित प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में कम हैं, वहां समुचित प्राधिकारी ऐसे स्कूल की प्रबंध समिति को लिखित रूप में यह निदेश देगा कि

उसे समुचित प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में समकक्ष कर्मचारियों के स्तर तक लाया जाए|

परन्तु यह और कि ऐसे निदेश का अनुपालन करने में असफलता को किसी विद्यमान स्कूल की सतत मान्यता हेतु शर्तों का अनुपालन न करना समझा जाएगा और धारा 4 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) सभी सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबंध समिति प्रत्येक महीने वेतन और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित लाभों हेतु उनका योगदान प्रशासक के पास जमा करेंगी और प्रशासक प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का संवितरण करेगा या संवितरण करवाएगा |

9. निस्संदेह, अपीलकर्ता स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित है और इस पर अधिनियम की धारा 10 संपूर्ण प्रभाव के साथ लागू होती है। निधि का अभाव स्कूल द्वारा अपने कर्मचारियों को परिलब्धियां न देने की अनुमति का आधार नहीं हो सकती। उक्त मुद्दे पर पहले भी विचार किया जा चूका हैं और इस न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णयों में स्कूलों के विरूद्ध मत प्रकट किया गया है। कुट्टमपरमपथ सुधा नायर बनाम श्री सत्य साई विद्या विहार प्रबंध समिति तथा अन्य, दिनांक 6 मई, 2021 को निर्णित रि.या.(सी) 928/2019 । शशि किरण और अन्य बनाम सीफ्तल्ल्तार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और अन्य, रि.या.(सी) सं. 2734/2021 और अमृता प्रीतम और अन्य बनाम एस. एस. मोटा सिंह जूनियर मॉडल स्कूल एवं अन्य., 22 सितम्बर, 2021 को निर्णित रि.या.(सी) 1335/2019 और

तटस्थ उद्धरण संख्याः 2023/डीएचसी/000555

सिखा शर्मा बनाम गुरु हरकृशन पब्लिक स्कूल एवं अन्य.; दिनांक 16 नवंबर,2021 को निर्णित रि. या.(सी) 3746/2020 |

10. ये सभी निर्णय स्कूलों द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं कि वे निधि की कमी के कारण शिक्षकों को भुगतान नहीं कर सकते|

11. अपीलकर्ता स्कूल के पास अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन और परिलब्धियों को भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, जैसा कि 7वे वेतन आयोग में निर्धारित किया गया हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई थी|

12. अपील, लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, के साथ खारिज की जाती है।

सतीश चंद्र शर्मा, मु. न्या.

श्री सुब्रमोणयम प्रसाद, न्या.

24 जनवरी, 2023
एचएसके

तटस्थ उद्धरण संख्याः 2023/डीएचसी/000555

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

"Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and. may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation."